उत्तमा कृषिरस्तु कृषिकर्मैव

कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीछवाल–बीकानेर

क्रमांक / कृ.अ.के. / बीका. / 2024 / 58 दिनांक: 26.07.2024

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर में 2024–25 सत्र के लिए कृषि फार्मों पर फसलों में विभिन्न कृषि कार्य करवाने हेतु सीलबन्ध लिफाफे में निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/– जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक : 02.08.2024 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति कृषि कार्यों को करवाने के लिए धरोहर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रुपये मात्र) कार्यालय में दिनांक :02.08.2024 को दोपहर 1:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट के साथ जो कि Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Bikaner के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। उक्त निविदा उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के विस्तृत नियम व शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.raubikaner.org पर देखी जा सकती है। निविदा को स्वीकृति/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. श्रीमान् निदेशक अनुसंधान, अनुसंधान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. श्रीमान् समिति संयोजक/सदस्य मूल्य निर्धारण समिति, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।
3. श्रीमान् फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।
4. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट –कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर।
6. लेखा शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर।
7. नीलामी पत्रावली/रक्षित पत्रावली, इत्यादि।

(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीछवाल–बीकानेर

कृषि फार्मों पर कृषि कार्यों को करवाने हेतु सीमित निविदा
(वर्ष 2024–25)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2024–25
निविदा क्रम संख्या	कृ. अनु. के./बीका./फार्म/2024/58 दिनांक : 26.07.2024
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/रूपये रसीद संख्याः..दिनांकः–....................
निविदा वर्ष	2024–25
अनुमानित लागत	एक लाख पच्चास हजार रुपये मात्र (रू 1.50 लाख)
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	26.07.2024 से 02.08.2024 दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	02.08.2024 दोपहर 1:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	02.08.2024 दोपहर 2:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर
पत्राचार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर (स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर) (राज.) 334006

(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान
Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K.- Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

कृषि अनुसंधान केन्द्र
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीछवाल–बीकानेर

उत्तमा वृत्तिस्तु कृषिकर्मैव

कृषि फार्मों पर कृषि कार्यों को करवाने हेतु निविदा की शर्तें

1. मुहरबन्द निविदा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर के नाम से देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कृषि कार्यों को करवाने हेतु निविदा तथा दिनांक लिखी होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात् 12 महीने के लिए मान्य होगी। आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू. 3000/– (अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफट के साथ जो कि (Zonal Director Research, ARS, Bikaner) के नाम देय हो, व निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/– नगद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक : 02.08.2024 को समय दोपहर 2:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो आगामी कार्यदिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के पास सुरक्षित रहेगा एवं क्षेत्रिय निदेशक अनुसंधान के निर्णय ही सर्वमान्य होगें।
10. कार्य, क्षेत्रीय निदेशक महोदय/फार्म इंचार्ज/फार्म मेनेजर/कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देशानुसार पुरा करना होगा।
11. कृषि कार्यों के लिए जरूरी जैसे यंत्र (फावड़ा, कुदाली, गैंती, खुरपी, दंताली आदि) स्वयं के लाने होगें। फार्म पर कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने व ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलबध नहीं करवाया जायेगा।
12. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार कृषि कार्य करवाने होंगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेंगी, उसी के अनुसार नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
13. कृषि कार्यों के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने कि जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उस कार्य को अनुसंधान केन्द्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की फसलों अथवा संपति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।
15. ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं कि जायेगी।

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K. Rajasthan Agril. Uni...

16. मूल निविदादाता के अतिरिक्त सभी की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात् सात दिवस के अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
18. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से की जायेगी।
19. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिए संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा और कृषि अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरूद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
20. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिती में अनुसंधान केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग स्वीकार्य होगी।
21. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
22. निविदादाता / फर्म / ऐजेंसी के पास जीएसटी नम्बर का होना अनिवार्य है ।

(एस.आर. यादव)
क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agricultural Research Station
S.K. Rajasthan Agril. University
Beechwal-Bikaner-334006

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता